

हिमाचल प्रदेश राजपूत कल्याण बोर्ड की दिनांक 12.2.2016 को होने वाली द्वितीय बैठक हेतु कार्यसूची का विभागवार ब्यौरा:-

क्रम संख्या	विभाग का नाम	समीक्षा हेतु प्रथम बैठक की मद्दें	नई मद्दें	अतिरिक्त मद्दें
1.	कार्मिक विभाग	1	6,7,	
3.	राजस्व विभाग	3 व 4	1, 2, 3,4,5,12	3
4.	शिक्षा विभाग	5	14	2
5.	भाषा एवं संस्कृति विभाग	6		
6.	सामान्य प्रशासन विभाग	7		
7.	वित्त विभाग	8, 9		
8.	लो0नि0विभाग	9	12,15,16,17,18	
11.	स्वास्थ्य विभाग		8	
12.	सचिवालय प्रशासन विभाग		9	
14.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग		10,11,21	
15.	पशु पालन		12	
16.	सहकारिता विभाग	8	13	
19.	परिवहन विभाग		17	
20.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग		18, 19	
21.	सैनिक कल्याण विभाग		20	
22.	गृह विभाग		20,12	
23.	निर्वाचन विभाग		22	
24.	समस्त प्रशासनिक विभाग	2	23	
25.	पंचायती राज		12	1
26.	शहरी एवं विकास		12	

हि0 प्र0 राजपूत कल्याण बोर्ड की दिनांक 12.2.2016 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न होने वाली बैठक हेतु कार्यसूची :-

मद्द संख्या 1: दिनांक: 8.1.2015 को सम्पन्न प्रथम बैठक मददो की समीक्षा:-

1. आर्थिक आधार पर आरक्षण सुविधा प्रदान करना: कुछ सदस्यों का यह मत रहा कि सरकारी सेवा में पिछड़ी एवं अनुसूचित जनजाति के आधार पर दिए जा रहे आरक्षण के साथ-साथ आरक्षण सुविधा किसी भी परिवार की आर्थिक दशा पर भी आधारित होनी चाहिए ताकि सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को भी आरक्षण सुविधा के लाभ प्राप्त हो सकें ।

(कार्मिक विभाग)

विभागीय उत्तर:

राज्य सरकार सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने बारे प्रायः केन्द्र सरकार में प्रचलित नीति/निर्देशों /संवैधानिक व्यवस्था का अनुसरण करती है। अतः पूर्णतया आर्थिक आधार पर आरक्षण देने बारे मामले पर केन्द्र सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लेने के उपरान्त ही राज्य सरकार के स्तर पर कोई कार्रवाई सम्भव होगी ।

फिर भी प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार/राज्य सरकार के अधीन निगमों/बोर्डों की सेवाओं में बी0पी0एल0 परिवारों के सदस्यों को श्रेणी -IV के सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है, जिसके दृष्टिगत सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के सदस्य भी इस आरक्षण सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

2. विभिन्न सरकारी योजनाओं में आर्थिक आधार पर लाभ : सदस्यों द्वारा यह मांग की गई कि सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु आर्थिक आधार निश्चित किया जाना चाहिए, जिसमें विशेष कर इन्दिरा/ राजीव आवास योजना का उल्लेख किया गया ।

(समस्त प्रशासनिक विभाग)

विभागीय उत्तर:

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इन्दिरा आवास योजना व राजीव आवास योजना का कार्यान्वयन किया जाता है । इन्दिरा आवास योजना केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसके अन्तर्गत 75:25 के अनुपात से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के तहत वी0 पी0 एल0 परिवारों को ही आवासों का आवंटन किया जाता है। राजीव आवास योजना राज्य की स्कीम है जिसके अन्तर्गत भी इन्दिरा आवास योजना की तर्ज पर ही वी0 पी0एल0 परिवारों को सुविधा प्रदान की जाती है । अन्य सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

उद्यान विभाग:- प्रदेश के अधिकतर बागवान लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। राज्य योजना के अन्तर्गत उद्यान सामग्री पर अनुसूचित जाति, जन जाति व पिछड़ा वर्ग के बागवानों को 50 प्रतिशत तथा सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त बागवानों को क्रमशः 25 व 33 प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा

विभाग द्वारा संचलित केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों जैसे की बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत समस्त बागवानों को समान रूप से अनुदान सहायता प्रदान की जा रही हैं ।

कृषि विभाग:- कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में योजनाओं के दिशानिर्देशानुसार ही लाभ प्रदान किए जा रहे हैं तथा जहाँ तक इन्दिरा /राजीव आवास योजना का संबन्ध है यह योजना कृषि विभाग से संबन्धित नहीं है ।

3. प्रत्येक जिला स्तर पर महाराणा प्रताप भवन निर्मित करने हेतु सरकारी भूमि/ सहायता प्रदान करना : – सदस्यों द्वारा यह मांग की गई की प्रत्येक जिला स्तर पर राजपूत समुदाय को बैठक के आयोजन के लिए एक निश्चित स्थान उपलब्ध करवाने हेतु महाराणा प्रताप भवन निर्मित करने हेतु सरकारी भूमि/ सहायता प्रदान की जानी चाहिए । मण्डी में महाराणा प्रताप स्टेडियम के भूमि आबन्टन मामले का विशेष उल्लेख किया गया जिसके भूमि आबन्टन के लम्बित मामले बारे उपायुक्त मण्डी को कानून के मुताबिक भूमि आबन्टन बारे उचित कार्यवाही के निर्देश देने बारे अनुरोध किया ।

(राजस्व विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

4. Land Tenancy Act,1974 से (adversely affected)प्रभावित परिवारों के एक बच्चे को सरकारी रोजगार का प्रावधान: Land Tenancy Act,1974 के तहत जिन लोगों की ज़मीने गई हैं उन परिवारों को identify किया जाए व कमजोर आर्थिक दशा से गुजर रहे ऐसे परिवारों में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने के प्रावधान किये जाने की मांग की गई ।

(राजस्व विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

5. राजपूत समुदाय की मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु ऋण सुविधा आर्थिक दृष्टि से कमजोर राजपूत कन्याओं को उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण तथा राजपूत लड़कों को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण का प्रावधान किये जाने की मांग की गई ।

(शिक्षा विभाग)

विभागीय उत्तर:

सरकार द्वारा मेधावी छात्रवृत्ति के अंतर्गत सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु मॅरिट सूची के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त आई0आई0टी0, आई0आई0एम0, ए0आई0आई0एम0एस0, आई0एस0एम0, आई0आई0एस0सी0 में प्रवेश पाने वाले सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं को एक बार मु0 75000/- रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है । वर्ष 2014-15 में उक्त संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने वाले 75 छात्र-छात्राओं को मु0 56,25,000/- रूपये विवरित की जा चुकी है तथा वर्ष 2015-16 का वितरण प्रक्रिया में है ।

इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग द्वारा राजीव गांधी डिजिटल छात्र योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 से मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित किये जा रहे हैं जिसके अंतर्गत वर्ष 2012-13 में दसवीं कक्षा के 4,000 मेधावी छात्र-छात्राओं को नैटबुकस वितरित की गईं । वर्ष 2013-14 में दसवीं तथा +2 कक्षा के 5,000 तथा वर्ष 2014-15 में 7500 मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप वितरित किये गए । वर्ष 2015-16 के लिए 10,000 मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप वितरित किये जा रहे हैं ।

जहां तक राजपूत मेधावी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु ऋण सुविधा प्रदान करने का प्रश्न है, यह एक नीतिगत मामला है । अतः इस बारे सरकार स्तर पर लैपसम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

6. तलवाड़ा में स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा का सुधार: तलवाड़ा में स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा का सुधार किये जाने की मांग की गई । अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रतिमा के सुधार बारे सहमति दी गई ।

(भाषा एवं संस्कृति विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

7. राजपूत कल्याण बोर्ड की अलग website : राजपूत कल्याण बोर्ड की अलग website की मांग की गई जिसमें सदस्यों की सूची upload की जानी चाहिए ।

(सामान्य प्रशासन विभाग)

विभागीय उत्तर:

सभी सदस्यों के नाम, पते व दूरभाष न0 वाली सूची सामान्य प्रशासन विभाग की website पर upload कर दी गई है ।

ब्राह्मण कल्याण बोर्ड व राजपूत कल्याण बोर्ड के गैर सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने का भी निर्णय लिया गया था । विभाग में 60 सदस्यों से पहचान पत्र जारी करने हेतु दस्तावेज प्राप्त हो गए थे व उन सभी को पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं ।

8. लांगणा पंचायत में हि.प्र. सहकारी बैंक की शाखा खोलने बारे : लांगणा पंचायत में हि.प्र. सहकारी बैंक की शाखा खोलने बारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिए गए आश्वासन को कार्यान्वित किए जाने की मांग की गई ।

इस सन्दर्भ में अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को अवगत करवाया की बैंक शाखा खोलने बारे सहकारी बैंक को लिखा है जिसका survey रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की अनुमति से किया जाता है । मामले की वर्तमान स्थिति पता की जाएगी ।

(सहकारिता विभाग)

विभागीय उत्तर:

सहकारिता विभाग:- ग्राम पंचायत लांगणा में बैंक शाखा खोलने हेतु हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित द्वारा सर्वे करवाया गया था । यह स्थान भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों के तहत बैंक की शाखा खोलने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया ।

9. लांगणा पंचायत में सड़क सुविधा: लांगणा पंचायत में 150-200 हरिजन परिवार सड़क सुविधा से वंचित है, जिसके लिए बजट में प्रावधान किए जाने बारे अनुरोध किया गया ।

(वित्त / लो.नि.विभाग)

विभागीय उत्तर:

लो0नि0विभाग:- लांगणा पंचायत के अर्न्तगत हरिजन बस्ती के लिए वांछित सम्पर्क सड़क के लिये भूमि का सर्वेक्षण अधिशाषी अभियन्ता भवन एवं मार्ग मण्डल, हि0प्र0लो0नि0 जोगिन्द्रनगर द्वारा कर दिया गया है, जिसकी लम्बाई 690 मीटर है । इस सड़क को बनाने हेतु किसी भी मद के अर्न्तगत बजट का प्रावधान नहीं है । जीप योग्य सम्पर्क सड़क बनाने के लिए लगभग 27.50 लाख रुपये का व्यय आपेक्षित है । समुचित बजट प्रावधान होने तथा निजि भूमि मालिकों द्वारा स्वेच्छा से भूमि उपलब्ध करवाने पर ही इस सड़क का निर्माण सम्भव है ।

मद्द संख्या-2: नई मद्दे:-

1. चम्बा शहर के नजदीक बालू आर्युवैदिक औषधालय के पीछे खाली जगह में राजपूत भवन बनाने की अनुमति दी जाये:-जिला चम्बा में राजपूत भवन बनाना अनिवार्य । चम्बा जिला में राजपूत भवन न होने की वजह से राजपूत समुदाय को बाहर आसमान के नीचे बैठ कर एक दूसरे से विचार परामर्श करना पड़ता है जो की खराब मौसम के समय व गर्मीयों के दिनों में बहुत मुश्किल होता है । अतः चम्बा शहर के नजदीक बालू आर्युवैदिक औषधालय के पीछे खाली जगह में राजपूत भवन बनाने की अनुमति दी जाये, व भवन निर्माण हेतु राशि भी प्रदान की जाये ।

(श्री सुदर्शन ठाकुर, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)
(राजस्व विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

2. राजपूत कल्याण बोर्ड का भवन प्रदेश की राजधानी शिमला में निर्माण हेतु शीघ्र जमीन की उपलब्धता एवं बजट हेतु आग्रह ।

(श्री गंगा ठाकुर, / श्री मोहिन्द्र सिंह खांगटा, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)
(राजस्व विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

3. **The Social bodies which have been provided Govt. land for construction of their Bhawans/Offices on lease basis** , on payment of lease money these Social bodies may not be burdended with the increased rates of lease money. The increased rates of lease money may be charged from other socities/organisation dealing with financial matter or which are involved in business activities.

(Sh. Tek Chand Rana, non officer member)

(Rev. Deptt.)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

4. There shall be a complete ban for sale/ mortgage of land allotted to landless persons or otherwise by the Govt. and in case of any breach thereof allotted land shall revert back to the State Govt. instead of its transfer /mortgage to concerned original allottee.

(Sh.Tek Chand Rana, non officer member)

(Rev. Deptt.)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

5. **Amendment in H.P. Tenancy and Land Reform Act. 1972 :-** The provisions of H.P. Tenancy and Land Reform Act. 1972 may be relaxed by amendment so that the small land owners possessing land to the extra of five to ten Kanals are exempted from the purview of the said Act so that the land in the State may be saved from being turning barren. Further, the Act, shall not be permitted to sell the land at any cost and in case of breach thereof, the land shall vest in the State Govt. or revert back to the land owners concerned.

(Sh.Tek Chand Rana, non officer member)

(Rev. Deptt.)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

6. **आर्थिक आधार पर आरक्षण सुविधा:-** पिछड़े इलाके में रहने वाले अधिकतर राजपूत गरीबी रेखा की श्रेणी में शामिल है जिन्हें न तो कोई कोटा है और न ही महत्व जिससे आने वाले दिनों में राजपूत समुदाय का जो वर्ग है वह गरीब और गरीब होता जा रहा है । अतः सरकार से अनुरोध है कि इन सब हालातों को देखते हुए निर्धारित कोटा अमल में लाने की कोशिश की जायें ताकि राजपूत समुदाय के लोगों को भी आगे आने का मौका मिलें ।

(श्री सुदर्शन ठाकुर, /श्री प्रेम सिंह ठाकुर/श्री टेक चन्द [राणा](#) /[सुरेश ठाकुर](#), गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)

विभागीय उत्तर:

समीक्षा हेतु प्रस्तुत मदद संख्या-1 पर विभागीय उत्तर दिया जा चुका है।

7. सरकारी नौकरी के बाद पदोन्नति में आरक्षण को तुरन्त बंद किया :- माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गये एतिहासिक फैसले जिसमें सरकारी नौकरी के बाद पदोन्नति में भी आरक्षण को तुरन्त प्रभाव से बंद करने के स्पष्ट आदेश है को तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए ।

(श्री प्रेम सिंह ठाकुर/श्री के एस जमवाल गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)
(कार्मिक विभाग)

विभागीय उत्तर:

राज्य सरकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को संविधान में निहित प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण प्रदान कर रही है और संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन करना राज्य सरकार की परिधि में नहीं आता ।

यद्यपि राज्य सरकार ने 85 वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पदधारियों को राज्य सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान न करने का निर्णय लिया है।

8. जिला मण्डी में केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित **ESI** अस्पताल का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर रखा जाये ताकि भारतवर्ष के इस वीर सपूत को लोग जाने ।

(श्री गंगा ठाकुर, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)
(स्वास्थ्य विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

9. बोर्ड के सदस्यों का जारी पहचान पत्र सचिवालय में प्रवेश हेतु वैध माने जाये ।

(श्री गंगा ठाकुर, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)
(सचि0प्रशा0 विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

10. Scrapping of Govt. incentive for inter cast marriages.
(Sh. K.S.Jamwal, non officer member)

(SJ&E Deptt.)

विभागीय उत्तर:

अन्तर्जातिय विवाह पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति तथा अन्य जातियों के मध्य विवाह को बढ़ावा दे कर छुआछुत की कुप्रथा को समाप्त करना है । इस योजना के अन्तर्गत 50,000/- रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है । अन्तर्जातिय विवाह पुरस्कार योजना के अन्तर्गत सरकारी प्रोत्साहन को रद्द करना एक नीतिगत मामला है तथा इस सम्बन्ध में सरकार स्तर पर ही निर्णय लिया जाना है।

11. Setting up of Special Commission for the welfare of deprived Rajput Community on the analogy of S/C and S/T commission.
(Sh.K.S.Jamwal, non officer member)
(SJ&E Deptt.)

विभागीय उत्तर:

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक से सम्बन्धित व्यक्तियों हेतु योजनाएं चलाई जाती हैं। अतः बंचित राजपूत समुदाय हेतु अनुसूचित जाति तथा अनु० जनजाति की तर्ज पर विशेष आयोग की स्थापना पर विचार सम्बन्धित विभाग ही कर सकता है।

12. To curb monkey, stray dogs and cattle menace.
(Sh. Tek Chand Rana, non officer member)

(UD/RD /PWD/Rev./ Home/ Animal Husbandry Deptt.)

विभागीय उत्तर:

Animal Husbandry Deptt:- Matter to control monkey menace pertain to Deptt. of Wild Life and matter of control of stray dogs pertain to Department of Urban Development and Department of Panchayati Raj. As far as matter of control of stray cattle is concerned the Hon'ble High Court in CWP No. 6631/2014, has made various departments responsible for undertaking activities to control stray cattle problem. Department wise responsibility fixed is as under:-

1. **Urban Development and Department of Panchayati Raj:-** Construction and maintenance of Gosadans by all the local bodies in their area and implementation of section 11-A of Himachal Pradesh Panchayati Raj Act regarding Cattle Registration.
2. **Department of PWD:-** Removing stray cattle from roads.
3. **Department of Revenue:-** Allotment of land on priority to entities interested in opening of Gosadan.
4. **Department of Home:-** Implementation of all the Animal Welfare Law/Acts.
5. **Department of Animal Husbandry:-** Treatment of sick stray animals and publicity of Animal Welfare Laws.
6. **All the Deputy Commissioners:-** District Level Coordination Committees have been constituted in all the Districts under Chairmanship of the respective Deputy Commissioners to coordinate activities of Stray Cattle Control and rehabilitation in the District.

Department of Animal Husbandry provided treatment of 4319 sick stray animals and organized 913 awareness camps during 1-4-2015 to 15-12-2015.

अन्य सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे।

13. Amendment in the provisions of the H.P. Societies Registration Act, 2006 may be considered to save the social bodies in the State already registered under the old Act. In the alternate the social bodies existing in the State may be permitted to be re-registered under the new Act., at the head quarters of the District where the said bodies are having their holding of meetings general house of the Executive committees as it is not possible for these bodies to ensure presence of fifty percent of the members in all such meetings of the said social bodies.

(Sh.Tek Chand Rana, non officer member)
(Coop. Deptt.)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

14. ग्राम पंचायत बन्दला के अन्तर्गत नए प्राईमरी स्कूल खोलने बारे शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्देश हुए थे कि नई पाठशाला खोलनी है तो भूमि दान के रूप में देनी पड़ेगी । पाठशाला के नाम पर 4 बिस्वा भूमि प्राईमरी स्कूल कीड़ा के नाम पर करवा दी गई है । पाठशाला खुलती है तो 22 बच्चे पढ़ेंगे और यह बच्चे अभी रा0प्रा0पा0 लकड़ा में जाते हैं जहां के लिए बच्चों को 2 कि0मी0 पैदल चलना पड़ता है व बीच में जंगल का एरिया है और उसमें से बच्चों को जंगली जानवरों का समाना करना पड़ता है । इस स्कूल को जल्दी से जल्दी खोला जाए ताकि गांव कीड़ा, बनाड़, सौथल के बच्चों को सुविधा मिल सके ।

(श्री अक्षय कुमार, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)
(शिक्षा विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

15. बन्दला पंचायत बस रोड़ का निर्माण:— ग्राम पंचायत बन्दला एक अति पिछड़ा हुआ पहाड़ी क्षेत्र है । यदि बन्दला रोड़ से गांव सिरना, बदेगा, धन्धराडी, बैंगणा, लगोडी, फागडी, चलेई, बदेगा, मौरतो, बनगोटू इत्यादि 10 गांव के लिए बस रोड़ का निर्माण होता है तो कम से कम 2200 की आबादी को इस सड़क का लाभ होगा । लोक निर्माण विभाग द्वारा पहले भी इसका सर्वे किया जा चुका है इसकी लम्बाई 5 कि0मी0 तक बनती है जिसमें से 10 गांव को लाभ होगा और साथ ही ग्राम पंचायत चड़ी के 3-4 गांव भी लाभान्वित होगा ।

(श्री अक्षय कुमार, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)
(लो0नि0 विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

16. चोल्थरा जिला मंडी के सामुदायिक स्वास्थ्य भवन हेतु सड़क का निर्माण हेतु पत्र जारी करें । वर्तमान में 800 मीटर लम्बी इस सड़क के निर्माण न होने के कारण इस भवन तक रोगी नहीं ले जा सकते और डॉक्टर व बाकी सारा स्टाफ होने के बावजूद यह चिकित्सा केंद्र सफेद हाथी ही बना हुआ है ।

(श्री प्रेम सिंह ठाकुर, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)
(लो0नि0 विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

17. जिला मुख्यालय मण्डी से गांव तरनोह की सड़क को पक्का किया जाए तथा स्कूल के बच्चों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा दी जाए :- गांव तरनोह,

जिला मुख्यालय मण्डी से 11-12 कि०मी० की दूरी पर स्थित है इस गांव की सड़क अभी तक कच्ची है जब वर्षा अधिक होती है तो सड़क बन्द हो जाती है । सड़क 5-6 गांव को जोड़ती है तथा इस गांवों में राजपूत बिरादरी के लोग रहते हैं सरकार से आग्रह है कि इस सड़क को पक्का किया जाए तथा सरकार द्वारा स्कूल के बच्चों को मुफ्त यात्रा सरकारी बसों में दी गई

(श्री गंगा ठाकुर, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)

(लोक निर्माण विभाग/परिवहन विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

18 पालमपुर उपमण्डल के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सपैडू से अवा खड्ड से कन्डूहल कुहल को पक्का करना व पशु औषधालय रछियाड़ा से श्री प्रभात चन्द के घर की ओर जीप योग्य सड़क बनवाना: पालमपुर उपमण्डल के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सपैडू से अवा खड्ड से कन्डूहल कुहल चलती है यह कुहल निकटवर्ती दस पचायतों में रहने वाले किसानों की लगभग 1200 एकड़ भूमि को सिंचाई करती है । यह कुहल जगह-2 पर टूटी हुई है और कई जगह से पानी का रिसाव हो जाता है जिसके चलते किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है । अतः उक्त कुहल को पक्का किया जाए ।

पशु औषधालय रछियाड़ा से श्री प्रभात चन्द के घर की ओर (हरिजन बस्ती) जीप योग्य सड़क का बनना अति आवश्यक है । इस सड़क के बनने से लगभग 30 परिवार लाभान्वित होंगे ।

(श्री विजय ठाकुर, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)

(लो०नि० विभाग/सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

19. ग्राम पंचायत बन्दला के अन्तर्गत काली नाले व महोग नामक सोर्स से पानी की पाईप लाईन डाली जाए:- गांव खिल, खाबर, खुडी, थान, फफरू गोट, चुचार , बसेईल इत्यादि गांव के लिए पानी की बहुत बड़ी समस्या है । यदि काली नाले व महोग नामक सोर्स से इन्हे पानी की पाईप लाईन डाली जाती है तो कम से कम 165 परिवारों को पानी की व्यवस्था हो सकेगी , क्योंकि ग्राम पंचायत बन्दला द्वारा तो पानिहारे व बावडियां बनाई गई है जो कि कम से कम 1 या 2 कि०मी० पीठ पर पानी उठाकर पीने के लिए व मवेशियों के लिए लाना पड़ता है ।

(श्री अक्षय कुमार, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)

(सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

20. राजपूत समुदाय द्वारा देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिए बलिदान पर विवरणिका प्रकाशित की जाए :- राजपूत समुदाय द्वारा देश और प्रदेश की

सुरक्षा हेतु जितने भी बलिदान दिए गये हैं उनके सम्बन्ध में एक विवरणिका प्रकाशित की जाए ।

(श्री प्रेम सिंह ठाकुर, / श्री मोहिन्द्र सिंह खांगटा गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)

(गृह विभाग / सैनिक कल्याण विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

21. Amendment in the present Atrocity Act.

(Sh. K.S.Jamwal, non officer member)

(SJ&E Deptt.)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

22. क) चुनावी प्रक्रिया में आरक्षण :-पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया ने प्रजातन्त्र को काफी हद तक प्रभावित कर दिया है। इस आरक्षण ने योग्य से योग्य व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया है । मतदाताओं को जानबूझ कर अपनी पसन्द को दरकिनारा कर जबरदस्ती अपने मत का प्रयोग करना पड़ रहा है । योग्य से योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ने से वंचित हो रहे हैं । अगर आरक्षण रखना ही है तो कम से कम प्रधान तथा उप प्रधान के पद को आरक्षण से दूर रखा जाए ताकि गांव में रहने वाली सभी जातियां निसंकोच योग्य व्यक्ति को चुन सकें ।

ख) आरक्षण सिर्फ पांच वर्ष के लिए ही होनी चाहिए:-इसे दस वर्ष के लिए करना न तो जनहित में है और न ही लोकतन्त्र के लिए ।

ग) आरक्षण रोस्टर सिर्फ पंचायत प्रतिनिधियों तक ही सीमित न होकर विधान सभा सदस्यों तथा लोकसभा सदस्यों पर भी लागू होना चाहिए ।

घ) महिला आरक्षण एक तरफा होनी चाहिए न कि ओपन महिला के लिए अलग एससी महिला के लिए अलग तथा ओबीसी महिला के लिए अलग ।

ङ) जब कोई सीट ओपन होती है तो उस सीट पर आरक्षित वर्ग का व्यक्ति भी चुनाव लड़ लेता है यहां तक कि महिला भी चुनाव मैदान में होती है परन्तु जब सीट आरक्षित होती है तो उस सीट पर आरक्षित वर्ग का ही अधिकार होता है । ऐसा क्यों ? इस व्यवस्था में सुधार किया जाए। ओपन सीट पर आरक्षित वर्ग के प्रत्यासी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए ।

(श्री यशवीर सिंह पटियाल, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)

(निर्वाचन विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

23. सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग में परीक्षा में प्रवेश हेतु फीस में भिन्नता रखी जाए:- किसी भी प्रकार की परीक्षा में प्रवेश हेतु सरकार द्वारा निर्धारित राशि जिसमें सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग में ज्यादा भिन्नता रखी है इस भी कम किया जायें, क्योंकि सामान्य वर्ग से सम्बन्धित गरीब घरों के बच्चों फीस अधिक होने की वजह से प्रतियोगिताओं में प्रवेश लेने में असमर्थ हो जाते हैं इस कारण वे नौकारी से वंचित रह जाते हैं ।

(श्री गंगा ठाकुर, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)
(समस्त प्रशासनिक विभाग)

विभागीय उत्तर:

कार्मिक विभाग:—राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश संख्या कार्मिक (नि०III) एफ(10)—1/93 दिनांक 27.9.1993 के अनुसार अन्तोदय/आई.आर.डी.पी.(अब बी.पी.एल) के उम्मीदवारों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की भान्ति परीक्षाओं अथवा पदों/सेवाओं के चयन हेतु प्रवेश फीस का 1/4 भाग ही लिए जाने का प्रावधान है जिसके दृष्टिगत सामान्य वर्ग से सम्बन्धित गरीब परिवार भी इस रियायत का लाभ प्राप्त कर रहे हैं ।
अन्य सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

मद्द संख्या—3: अतिरिक्त मद्दे:—

1. निर्धन तथा सामान्य राजपूत परिवारो को चिन्हित करने हेतु सर्वेक्षण करवाये जाने बारे अनुरोध ।

(श्री पुरुषोत्तम ठाकुर, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)
(पंचायती राज विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

2. राजपूत परिवारो के बच्चे में ऊँची तकनीकी तथा वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने की अत्यन्त आवश्यकता है । परन्तु ऐसी शिक्षा बहुत मंहगी है । अतः निर्धन परिवारो के बच्चों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिये उपायों पर विचार किया जाना चाहिए छात्र वृत्तियों में उदारता लाने का तरीका अपनाया जाये ।

(श्री पुरुषोत्तम ठाकुर, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)
(शिक्षा विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

3. हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी भूमि होने से खेती की **Productivity** कम पड़ती जा रही है क्योंकि **Holdings** का **size** घटता जा रहा है व **Erosion** बढ़ता जा रहा है। अतः भूमि के रक्बा को ही आधार मानना पूर्णतया ठीक न मान कर आय के माप—दण्डो को दोहराने पर विचार हो ।

(श्री पुरुषोत्तम ठाकुर, गैर सरकारी सदस्य बोर्ड)
(राजस्व विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की दिनांक 12.2.2016 को होने वाली द्वितीय बैठक हेतु कार्यसूची का विभागवार ब्यौरा:-

क्रम संख्या	विभाग का नाम	समीक्षा हेतु प्रथम बैठक की मद्दे	नई मद्दे	अतिरिक्त मद्दे
1.	कार्मिक विभाग	1	15	
2.	शिक्षा विभाग	2	7,8,9,	
3.	राजस्व विभाग	3	1, 2 ,3,	2
4.	समस्त प्रशासनिक विभाग	4		
5.	सामान्य प्रशासन विभाग	5	10	3,
6.	भाषा एवं संस्कृति विभाग		3,4,5,6,	
7.	स्वास्थ्य विभाग		9,	
8.	सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग		9, 10,11,14	2
9.	आवकारी एवं काराधान विकास		12	
10.	ग्रामीण विकास		12	
11.	शहरी विकास		12	
12.	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग		12	
13.	पशु पालन विभाग		12,	
14.	वन विभाग		13	
15.	गृह विभाग		14,	
16.	निर्वाचन विभाग			1
17.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग			5
18.	लोक निर्माण विभाग			6
19.	वित्त विभाग			4

हि0 प्र0 ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की दिनांक 12.2.2016 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न होने वाली बैठक हेतु कार्यसूची

मद्द संख्या 1: दिनांक: 8.1.2015 को सम्पन्न प्रथम बैठक मददो की समीक्षा:-

1. आर्थिक आधार पर आरक्षण सुविधा प्रदान करना: कुछ सदस्यों का यह मत रहा कि सरकारी सेवा में जाति के आधार पर दिए जा रहे आरक्षण के साथ-साथ आरक्षण सुविधा किसी भी परिवार की कमजोर आर्थिक दशा पर भी आधारित होनी चाहिए ताकि सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को भी आरक्षण सुविधा के लाभ प्राप्त हो सके ।

(कार्मिक विभाग)

विभागीय उत्तर:

राज्य सरकार सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने बारे प्रायः केन्द्र सरकार में प्रचलित नीति/निर्देशों /संवैधानिक व्यवस्था का अनुसरण करती है। अतः पूर्णतया आर्थिक आधार पर आरक्षण देने बारे मामले पर केन्द्र सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लेने के उपरान्त ही राज्य सरकार के स्तर पर कोई कार्रवाई सम्भव होगी ।

फिर भी प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार/राज्य सरकार के अधीन निगमों/बोर्डों की सेवाओं में बी0पी0एल0 परिवारों के सदस्यों को श्रेणी –IV के सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है, जिसके दृष्टिगत सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के सदस्य भी इस आरक्षण सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

2. प्रत्येक जिला स्तर पर संस्कृत महाविद्यालय खोलना –हिमाचल के अधिक से अधिक ब्राह्मण युवा वर्ग में कर्मकाण्ड पद्धति की शिक्षा के विस्तार की सम्भवता को बढ़ाने के उद्देश्य व मन्दिरों के पुजारियों के लिए **refresher course** आयोजित करने हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर संस्कृत महाविद्यालय खोले जाने की मांग की गई। संस्कृत भाषा को सुदृढ़ / लोकप्रिय बनाने के लिए विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रोत्साहन भत्ता निश्चित करने की मांग की गई ताकि इस आकर्षण से अधिक से अधिक विद्यार्थी संस्कृत भाषा का चयन करें ।

(शिक्षा विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

3. प्रत्येक जिला स्तर पर परशुराम सामुदायिक भवन निर्मित करने हेतु सरकारी भूमि/सहायता प्रदान करना : – सदस्यों द्वारा यह मांग की गई की प्रत्येक जिला स्तर पर ब्राह्मण समुदाय को बैठक के आयोजन के लिए एक निश्चित स्थान उपलब्ध करवाने हेतु परशुराम सामुदायिक भवन निर्मित करने हेतु सरकारी भूमि/ सहायता प्रदान की जानी चाहिए ।

(राजस्व विभाग)

विभागीय उत्तर:

राजस्व विभाग :-हि0प्र0 पट्टा नियम, 2013 में किसी भी सरकारी / गैर सरकारी संस्था या सोसाईटी तथा व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार के भवन निर्माण हेतु सरकारी भूमि पट्टे पर उपलब्ध करवाने बारे प्रावधान विद्यमान नहीं है। अतः इस मांग पर विचार करना / स्वीकार करना संभव नहीं है।

उपायुक्त सिरमौर:-मामला तहसीलदार नाहन को भूमि के चयन हेतु भेजा गया था। तहसीलदार नाहन ने अवगत कराया है कि जिला मुख्यालय पर सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है तथापि उन्हें मामले में पुर्ननिरीक्षण हेतु लिखा गया है कि नाहन में परशुराम सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु सरकारी अथवा नगर पालिका की भूमि का चयन किया जाए।

4. **विभिन्न सरकारी योजनाओं में आर्थिक आधार पर लाभ देना:** सदस्यों द्वारा यह मांग की गई कि सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु आर्थिक आधार निश्चित किया जाना चाहिए, जिसमें विशेष कर इन्दिरा / राजीव आवास योजना का उल्लेख किया गया।

(समस्त प्रशासनिक विभाग)

विभागीय उत्तर:

पशु पालन विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में योजनाओं के दिशा निर्देशा अनुसार ही लाभ प्रदान किये जा रहे हैं।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इन्दिरा आवास योजना व राजीव आवास योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। इन्दिरा आवास योजना केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसके अन्तर्गत 75:25 के अनुपात से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के तहत वी0 पी0 एल0 परिवारों को ही आवासों का आवंटन किया जाता है। राजीव आवास योजना राज्य की स्कीम है जिसके अन्तर्गत भी इन्दिरा आवास योजना की तर्ज पर ही वी0 पी0 एल0 परिवारों को सुविधा प्रदान की जाती है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्तता मामले विभाग:- यह विभाग प्रदेश की समस्त जनता को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली व राज्य अनुदानित योजना के अन्तर्गत खाद्यान, चीनी, दाले, तेल व नमक निर्धारित मूल्य व मात्रा अनुसार आवंटित कर रहा है। अन्य सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे।

उद्यान विभाग:- प्रदेश के अधिकतर बागवान लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। राज्य योजना के अन्तर्गत उद्यान सामग्री पर अनुसूचित जाति, जन जाति व पिछड़ा वर्ग के बागवानों को 50 प्रतिशत तथा सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त बागवानों को कमशः 25 व 33 प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा विभाग द्वारा संचालित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों जैसे की बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत समस्त बागवानों को समान रूप से अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है।

5. **बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को पहचान पत्र जारी करना:** सदस्यों द्वारा मांग की गई कि प्रत्येक सदस्य को पहचान पत्र जारी किए जाएं ताकि उन्हें सरकारी कार्यालयों में कार्य करवाने हेतु समन्वय (co-ordination) प्राप्त हो सके।

(सामान्य प्रशासन विभाग)

विभागीय उत्तर:

बोर्ड के सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने हेतु विभाग द्वारा सभी सदस्यों से उनके फोटो की दो प्रतियां (स्टाम्प साइज) मंगवाई गई थी। अब तक विभाग में 80 सदस्यों

से फोटो /दस्तावेज प्राप्त हो चुके हैं व उन्हें पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं ।
हि0 प्र0राजपूत कल्याण बोर्ड की बैठक में यह स्वीकृत किया गया था कि सामान्य
प्रशासन विभाग द्वारा संचालित दोनों बोर्डों के गैर सरकारी सदस्यों के नाम व दूरभाष
न0 की जानकारी का ब्यौरा website पर upload किए जाए। इसलिए हि0 प्र0
ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों के नाम, पते व दूरभाष न0 की सूची भी
सामान्य प्रशासन की website पर upload कर दी गई है।

मद्द संख्या-2: नई मद्दे:-

1. श्री परशुराम भवन/ ब्राह्मण भवन बनाने हेतु कम से कम 6 विस्वा जमीन ब्राह्मण
कल्याण सभा के हक में स्वीकृत करवाना:-सभी जिलों के गांव में जहां ब्राह्मण
समुदाय के लोग अधिक मात्रा में हैं आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को
बढ़ावा देने के लिए श्री परशुराम भवन/ ब्राह्मण भवन बनाने हेतु कम से कम 6
विस्वा जमीन ब्राह्मण कल्याण सभा के हक में स्वीकृत किया जाए व बजट में
विशेष प्रावधान रखा जाए ,जिससे समाज में बढ़ रहे अपराध और नवयुवकों को
नशाखोरी से दूर रहने की शिक्षा दी जा सके ।
(श्री डी0डी शर्मा/श्री मुन्शी राम शर्मा/श्री चन्द्रशेखर
भारद्वाज/श्री राम प्रकाश शर्मा, /श्री बोध राज भारद्वाज, गैर
सरकारी सदस्य)

(राजस्व विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

2. जिला मण्डी के बल्ह क्षेत्र में भगवान परशुराम के मन्दिर तथा ब्राह्मण सभा के
कार्यालय हेतु भूमि उपलब्ध करवाना:- जिला मण्डी के बल्ह क्षेत्र में भगवान
परशुराम के मन्दिर तथा ब्राह्मण सभा के कार्यालय के लिए सरकार भूमि उपलब्ध
करवाए ।

(ज्योति प्रकाश शर्मा, गैर सरकारी सदस्य)

(राजस्व विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

3. मन्दिरों की भूमि का स्वामित्व वापिस किया जाये:- मन्दिरों की भूमि का स्वामित्व
वापिस किया जाये ताकि सदियों से चल रहे धार्मिक कार्य सुचारु रूप से चलाए
जा सके ।

(श्री डी0डी शर्मा, गैर सरकारी सदस्य)

(भाषा कला एवं संस्कृति विभाग /राजस्व विभाग)

विभागीय उत्तर:

राजस्व विभाव :- पूर्व में जिन मन्दिरों के पास भू-जोत सीमा से अधिक भूमि थी
अथवा उनकी भूमि मुजारों के कब्जे में थी ऐसी भूमि या तो हि0 प्र0 भू-जोत सीमा
अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत सरकार में निहित हुई है अथवा हि0प्र0 मुजारियत एवं
भू-सुधार अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत मुजारों में निहित हुई है। वर्तमान
में उक्त अधिनियमों में संशोधन करके भी ऐसा करना सम्भव प्रतीत नहीं होता , क्योंकि

या तो ऐसी भूमि जनहित में उपयोग में लाई जा चुकी है अथवा यह अब तत्कालीन मुजारों की निजी भूमि है।

4. विभिन्न देवालयों ,मन्दिरों एवं देव स्थानों में प्रबन्ध के लिए ब्राह्मण सभाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाये:-राजकीय संरक्षण में प्रदेश के विभिन्न देवालयों ,मन्दिरों एवं देव स्थानों के उचित रखरखाव एवं आर्थिक अनुष्ठान ,यज्ञ एवं पर्व के प्रबन्ध में ब्राह्मण सभाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाये ताकि ये मन्दिर पवित्रता तथा आदर्श वैदिक एवं सनातन धर्म के संरक्षक तथा धार्मिक श्रद्धा के प्रतीक बने रहे साथ ही ये मन्दिर साधू संतों के आश्रय के स्थान बन सकें न कि व्यवसायिक केन्द्र ।

(श्री ललित मोहन शर्मा, गैर सरकारी सदस्य)

(भाषा कला एवं संस्कृति विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

5. मंदिरों में वृहद पुस्तकालयों की स्थापना की जानी चाहिए तथा प्रत्येक मंदिर न्यास द्वारा संस्कृत के महाविद्यालय खोले जाने चाहिए व मंदिरों के पुजारियों के लिए समय-समय पर कर्मकाण्ड और ज्योतिष के शिविर लगाए जाने चाहिए व एक मंदिर न्यास बोर्ड का भी गठन किया जाना चाहिए :- हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से विश्वविख्यात है भारत के कोने-कोने से तथा विदेशो से आये, पर्यटकों के मन में यह भावना बनी रहती है कि हिमाचल की भूमि में वेदव्यास , पराशर, मनु आदि ऋषियों ने वैदिक एवं पौराणिक काल में इस पवित्र भूमि में जन्म लिया यहां भारतीय संस्कृति का उदगम एवं विकास हुआ । हमारे सिद्ध पीठों नैना देवी, चिंतपुरणी , ज्वालामुखी और चामुंडा आदि मंदिरों में वृहद पुस्तकालयों की स्थापना की जानी चाहिए तथा प्रत्येक मंदिर न्यास द्वारा संस्कृत के महाविद्यालय खोले जाने चाहिए जहां कर्मकाण्ड और ज्योतिष का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से संचालित किया जाना चाहिए । भव्य पुस्तकालय का निर्माण तथा वहां पुस्तकालय अध्यक्ष की स्थाई नियुक्ति की जानी चाहिए। मंदिरों के पुजारियों के लिए समय-समय पर कर्मकाण्ड और ज्योतिष के शिविर लगाए जाने चाहिए । मंदिरों का सम्पूर्ण विकास हो इसके लिए जिस प्रकार से राजपूत कल्याण बोर्ड एवं ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है, उसी प्रकार से जितने भी मंदिरों के न्यास है उन सभी का एक मंदिर न्यास बोर्ड का भी गठन किया जाना चाहिए । ऐसा करने पर सभी मंदिरों का सामूहिक विकास एवं एकरूपता आएगी ।

(डॉ मस्त राम शर्मा / श्री संजीव धर, गैर सरकारी सदस्य)

(भाषा कला एवं संस्कृति विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

6. मन्दिरों के पुजारियों के पैन्शन :- सरकार के अधीन मन्दिरों के पुजारियों के पैन्शन पर विचार किया जाए ।

(श्री चन्द्रशेखर भारद्वाज , गैर सरकारी सदस्य)

(भाषा कला एवं संस्कृति विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

7. प्रदेश में संस्कृत महाविद्यालय एवं अकादमी खोले जाए तथा उनके लिए राशि स्वीकृत किया जाए:— हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से शिक्षा क्रांति लाई है । दूरस्थ से दूरस्थ स्थानों में स्कूल व कॉलेज खोले हैं, इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिला में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोले जाने चाहिए । वर्तमान में जिला कुल्लू और जिला चंबा आदि में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है । हिमाचल संस्कृत अकादमी संस्कृत के प्रचार एवं प्रसार के लिए भूमि का चयन शिमला ग्रामीण के मरहोग (धनाहटी) के पास प्रक्रिया शुरू की गई है । अतः मरहोग की सरकारी भूमि को संस्कृत अकादमी खोलने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करने की कृपा करें ।

(डॉ मस्त राम शर्मा, गैर सरकारी सदस्य)

(शिक्षा विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

8. धार्मिक संस्कार देने हेतु कर्मकाण्ड, ज्योतिष हिन्दी संस्कृत एवं आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा के स्कूल का प्रावधान किया जाए व वैदिक शिक्षा संस्थानों में ब्राह्मण जाति के प्रशिक्षुओं को अधिमान दिया जाए:— नवयुवक बालकों एवं बालिकाओं को धार्मिक संस्कार देने हेतु सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया जाए। ब्राह्मणों के युवा बच्चों को जो गरीबी के कारण आगे पढ़ाई नहीं कर सके उनके लिए कर्मकाण्ड , ज्योतिष हिन्दी संस्कृत एवं आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा के स्कूल का प्रावधान सरकार द्वारा हर गांव में किया जाए। प्रदेश में सरकार के अधीन कार्यरत ज्योतिष कर्मकाण्ड व वैदिक शिक्षा संस्थानों में ब्राह्मण जाति के प्रशिक्षुओं को अधिमान दिया जाए ।

(श्री मुन्शी राम शर्मा/श्री ललित मोहन शर्मा/श्री चन्द्रशेखर भारद्वाज
/रामानन्द शर्मा, गैर सरकारी सदस्य)

(शिक्षा विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

9. आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मणों व उनके आश्रितों को विशेष छात्रवृत्तियां व स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करवाई जाए:—आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मणों व उनके आश्रितों को विशेष छात्रवृत्तियां व स्वास्थ्य सुविधायें के लिए सरकार द्वारा कार्यक्रम लागू किया जाए और उन्हें विशेष सहायता प्रदान की जाएं ।

(श्री चन्द्रशेखर भारद्वाज /श्री मुन्शी राम शर्मा/ श्री संजीव धर, गैर सरकारी सदस्य)

(शिक्षा विभाग/ स्वास्थ्य विभाग/ सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

10. ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की तरफ से गरीब ब्राह्मण लड़कियों को शादी हेतु आर्थिक सहायता दी जाए:—ब्राह्मण कल्याण बोर्ड जो गठित है और सरकार द्वारा संचालित

हैं इसी ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की तरफ से गरीब ब्राह्मण लड़कियों को शादी हेतु मदद की जाए।

(शिव कुमार कौल, गैर सरकारी सदस्य)
(सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग / सा0प्र0वि0)

विभागीय उत्तर:

किसी भी आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु बजट की आवश्यकता पड़ती है बोर्ड के पास इस प्रयोजन हेतु बजट का कोई प्रावधान नहीं है जबकि गरीब लड़कियों को शादी हेतु सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। अन्य सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे।

11. **पंजीकृत सभाओं को हि0 प्र0 कल्याण बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाये:-** उप मण्डल अथवा तहसील स्तर पर प्रदेश में ब्राह्मण कल्याण सभाओं का पंजीकृत गठन पहले से ही हो रखा है परन्तु इन सभाओं को सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। जबकि इनके कार्यक्रम समाज के हित में सदैव होते रहते हैं। इन पंजीकृत सभाओं को हि0 प्र0 कल्याण बोर्ड द्वारा सशक्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित आधार पर वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाये ताकि संस्थायें पिछड़े ब्राह्मणों के उत्थान के लिए सक्रिय हो सकें।

(श्री ललित मोहन शर्मा, गैर सरकारी सदस्य)

(सामाजिक एवं न्याय अधिकारिका विभाग)

विभागीय उत्तर:

हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत सभाएँ जो इस विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के आधार पर वृद्धों, विकलांग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के कल्याण हेतु नियमानुसार तीन वर्षों से वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम, विकलांग व मन्दबुद्धि/मूकबधिर बच्चों तथा अनुसूचित जाति, व अनुसूचित जन जाति के लिए अनुशिक्षण केन्द्र (Coaching Centre) इत्यादि का संचालन कर उन्हें लाभान्वित कर रही हो उन्हें भारत सरकार के मापदण्डों की परिधि में के अनुसार सहायक अनुदान दिया जाता है।

अतः उक्त के दृष्टिगत जो भी संस्थाएँ नियमानुसार निर्धारित मापदण्ड को पूरा करती हैं, वह सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी की मौका निरीक्षण टिप्पणी सहित उनके माध्यम ऑनलाईन सहायता अनुदान हेतु आवेदन कर सकती हैं। विभाग द्वारा ऐसी सभी संस्थाओं को विभागीय जांच कमेटी के परिक्षण के बाद भारत सरकार को सहायता हेतु स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।

12. **गऊ सदनों के रखरखाव हेतु उचित धन राशि के प्रावधान बारे :-** प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कई संस्थाओं द्वारा गऊ सदनों का संचालन किया जा रहा है और बेसहारा पशुओं की गम्भीर समस्या को देखते हुए सरकार द्वारा हर पंचायत में एक एक गऊ सदन बनाना प्रस्तावित है परन्तु पर्याप्त धनराशि के बिना इन गऊ सदनों का ठीक ढंग से चल पाना सम्भव नहीं है। प्रदेश के बेसहारा पशुओं के पालन पोषण में मदद करना हर नागरिक चाहे वह गांव में रहता हो या शहर में, का नैतिक कर्तव्य है। ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों और नगर निगमों को भी गऊ सेवा टैक्स के रूप में कर लगा कर गऊ सदनों को चलाने में मदद करनी चाहिए तथा शराब की बिक्री पर दो से तीन रूपये (जैसा उचित हो) प्रति बोलल गऊ सेवा शुल्क लगाकर कर एकत्रि धनराशि पशुपालन के माध्यम से गऊ सदनों को उपलब्ध करवाई जाए।

यदि ए0पी0एल0परिवारों को पी0डी0एस0 द्वारा कम मूल्य पर राशन मिल सकता है तो गऊ सदनों को भी कम मूल्य पर आटा ,नमक भूसा आदि कम दिया जाना चाहिए। ए0पी0एल0 परिवारों से आटा गेहूं और चावल एक रूपया प्रति कि0 ग्रा0 और दालों तथा तेल पर दो रूपये प्रति कि0ग्रा0/लीटर अतिरिक्त लेकर गऊ सदनों के सहायतार्थ देना चाहिए।

(श्री अयोध्या लाल शर्मा, गैर सरकारी सदस्य)

(आवकारी एवं काराधान/ ग्रामीण विकास /शहरी विकास/खाद्य एवं आपूर्ति विभाग /पशु पालन विभाग)

विभागीय उत्तर:

पशु पालन विभाग :- पशु पालन विभाग द्वारा 1.4.2015 से 31.1.2016 की अवधि के दौरान मु0 72.50 लाख रूपये की राशि जिला उप निदेशको (पशु स्वास्थ्य/प्रजनन) के माध्यम से प्रदेश में चलाए जा रहे गौसदनों में पाले जा रहे पशुओं को भूसा /तूडी उपलब्ध करवाने हेतु खर्च किए गए है। अन्य सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

13. **बन्दरों द्वारा फसलों के नुकसान की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना।**

ब्राह्मण समुदाय के अधिकतर लोग किसान हैं तथा कृषि पर निर्भर हैं परन्तु कुछ वर्षों से बन्दरों द्वारा फसलों की तबाही से तंग आकर किसानों ने फसल बीजना लगभग बन्द कर दिया है क्योंकि फसल की बिजाई पर ही बन्दर बीज दानों को चुनना शुरू कर देते हैं और जो कुछ दाने उगते हैं उनके पौधों को नष्ट कर देते हैं। अब तो बन्दर हिंसक भी होते जा रहे हैं और महिलाओं ,बच्चों और बृद्धों पर हमले कर रहे हैं जिस की बजह से कुछ बहुमूल्य जाने भी गई हैं । सरकार को बन्दरों से फसलों को बचाने के लिये तुरन्त प्रभावी पग उठाने चाहिए। अभी तक विभाग ने इस बारे में जो भी पग उठाये हैं उनका कोई सकारात्मक असर नहीं हुआ है। सरकार से अनुरोध है कि वन्य प्राणी विभाग वन भूमि पर प्राइवेट पार्क विकसित करके इस भीषण समस्या का शीघ्र और कारगर समाधान निकालें।

(श्री अयोध्या लाल शर्मा, गैर सरकारी सदस्य)

(पशु पालन विभाग/वन विभाग)

विभागीय उत्तर:

पशु पालन विभाग :- बन्दरों द्वारा फसलों के नुकसान की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रबन्ध करने का मामला वन्य प्राणी विभाग से सम्बन्धित है । सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

14. **प्रिवैन्शन ऑफ एटरोसिटी एक्ट में प्रावधान किया जाये :-**प्रिवैन्शन ऑफ एटरोसिटी एक्ट में शिकायत झूठी साबित होने पर शिकायतकर्त्ता को अन्य कानूनों की तरह सजा का प्रावधान, शिकायतकर्त्ता को अपराधी के लिए उचित मुवाजा देने का भी प्रावधान किया जाये ।

(श्री डी0डी शर्मा, गैर सरकारी सदस्य)

(सामाजिक एवं न्याय अधिकारिका विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

15. आरक्षण विशेष जाति को ले कर नहीं बल्कि गरीबी के आधार पर किया जाए:— आरक्षण विशेष मुददा है जाति विशेष को ले कर नहीं बल्कि गरीबी के आधार पर होना चाहिए अगर स्वर्ण समुदाय को न्याय दिलाना है तो आरक्षण को सार्वजनिक करना होगा । गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का यही एक लोकतन्त्र उपाय है। इस का आधार आर्थिक होना चाहिए। न्याय संगत है। आरक्षण का लाभ केवल एक बार ही रखा जाये।

(श्री मुन्शी राम शर्मा/श्री डी0डी0शर्मा/श्री ज्योति प्रकाश/श्री शिव कुमार कौल/श्री सुनील शर्मा/ श्री संजीव धर /प0 वेद प्रकाश शर्मा, गैर सरकारी सदस्य)

(कार्मिक विभाग)

विभागीय उत्तर:

समीक्षा हेतु प्रस्तुत मदद संख्या-1 पर विभागीय उत्तर दिया जा चुका है।

मदद संख्या-3: अतिरिक्त मददे:-

1. भाट ब्राह्मण (OBC) को आबादी के आधार पर पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद सीटों पर आरक्षण करवाया जाए:- विकास खण्ड पच्छाद जिला सिरमौर हि0प्र0 में भाट ब्राह्मण (OBC) समुदाय की जनसंख्या का हिमाचल प्रदेश सरकार और पंचायती राज विभाग के पास कोई तथ्यपूर्ण रिकार्ड नहीं है और न ही हमारे विकास खण्ड जिसमें 30 पंचायतें हैं। पच्छाद में आज तक कोई भी पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद में कोई भी भाट ब्राह्मण (OBC) को आरक्षण नहीं दिया गया जबकि हमारे पच्छाद के विकास खण्ड में लगभग 65 % आबादी भाट ब्राह्मण की है । सर्वेक्षण द्वारा (OBC) में भाट ब्राह्मण के आधार पर सीटों का आरक्षण करवाया जाए ।

(श्रीमति राजेश्वरी, गैर सरकारी सदस्य)

(निर्वाचन विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

2. भाट ब्राह्मण को OBC का प्रमाण पत्र बनाने हेतु आय शर्त समाप्त किया जाए :- जिस प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आय की कोई शर्त नहीं है इसी तर्ज पर OBC का प्रमाण पत्र बनाने हेतु तथा OBC आरक्षण हेतु आय की शर्त को समाप्त किया जाए तथा इस मुद्दे को केन्द्र सरकार से उठाया जाये ।

(श्रीमति राजेश्वरी, गैर सरकारी सदस्य)

(राजस्व विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

3. बोर्ड, ब्राह्मण समुदाय (जाति) के उत्थान के लिए नीति निर्माण करने हेतु कमेटी का गठन किया जाए तथा बोर्ड ,सरकार हि0प्र0 से अन्य निगमों की तर्ज पर ब्राह्मण अनुदान आयोग का गठन करने के लिए अपना सूझाव भेजे ।

(श्री त्रिलोक राज भाट , गैर सरकारी सदस्य)
(सामान्य प्रशासन विभाग)

विभागीय उत्तर:

ब्राह्मण समुदाय (जाति) के उत्थान हेतू हि0प्र0 ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की जा चुकी है तथा ब्राह्मण समुदाय (जाति) के उत्थान के लिए नीति निर्माण तथा अनुदान आयोग के गठन बारे चर्चा बैठक में की जाएगी ।

4- The Loan facility to the ecomonomically poor families be given @ 4% interest, as it is given by other Backward Classes Commision to run their business at small scale.

(Sh. Vijay Dogra Non-Official Member)
(वित्त विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

5. शिलाई के नेनिधार व शाखोलि पंचायत में पीने के पानी की दिक्कत हो गई है । अतः इन पंचायतों में पीने के पानी के लिए उचित प्रबन्ध किया जाए ।

(श्री एम0आर0पराशर , गैर सरकारी सदस्य)
(सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

6. वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढालपुर कुल्लू से लेकर शीशामाटी चैकपोस्ट तक सड़क की हालत अति दयनीय है नालियों का पानी सड़क पर वह रहा है सड़क पर टायरिंग न होने के कारण बारिश के दिनों में किचड़ तथा साफ मौसम में धूल उड़ती रहती है और कई जगह गड्डों में पानी भरा रहता है। इससे वहां गुजरने वाले स्कूल के बच्चों, महिलाओं, बुर्जगों और कर्मचारियों को हर रोज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । अतः इस सड़क के किनारे की नाली को 2 फुट गहरा और सड़क की अच्छे से मुरम्मत करके उस पर टायरिंग की जाए ।

(श्री संजीव धर , गैर सरकारी सदस्य)
(लो0नि0 विभाग)

विभागीय उत्तर:

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।
